रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 1970/वैशाख 18, 1892

No. 87] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 1970/VAISAKHA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Post and Telegraphs Boards)

NOTIFICATION

New Delhi, 5th May 1970

G.S.R. 774.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraphs Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (seventh amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the 15th May, 1970.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951,—in rule 434, in Section III relating to "Scale of charges for departmental exchange connections", in clause (i) relating to connections within the local area, for the existing Table under "(a) Measured rate system" the following Table shall be substituted, namely—

	"Exchanges	Rates of quarterly rental and call fees.			
		Rental	Fees for the first 150 local calls during the quarter.	Fees per local call for the next 600 calls during the quarter.	Fees per local call for calls beyond 750 calls during the quarter.
		Rs.		Paise	Paise
(1)	Calcutta, Bombay Delhi and Madras.	90	Allowed free of charge.	15	20
(2)	All other exchanges	75	Allowed free of charge	15	20

[No. 7-34/70-R]

C. A. CORNELIUS,

Senior member (Telecom, Operations), and *Ex Officio* Addl Secy.

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 5 मई, 1970

सा० का० नि० 774—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) ये नियम भारतीय तार (सातवीं संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 15 मई, 1970 को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय तार नियम 1951 में "विभागीय एक्सचेंज कनेक्शनों के लिए प्रभार का मापमान" से सम्बन्ध अनुभाग 3 में नियम 434 में, स्थानीय क्षेत्र के भीतर कनेक्शनों से सम्बन्ध खण्ड (i) में (क) मापित दर पद्धति के नीचे विद्यमान सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

एक्सचेंज	तिमाही भाटक और काल शुल्क की दरें		
भाटक	तिमाही के दौरान प्रथम 150 स्थानीय कालों के लिए फीस	तिमाही के दौरान अगली 600 कालों के लिए प्रति स्थानीय काल फीस	तिमाही के दौरान 750 कालों से ऊपर की कालों के लिए प्रति स्थानीय काल फीस
	रुपये	पैसे	पैसे
1— कलकत्ता बम्बई दिल्ली और मद्रास	90 मुफ्त	15	20
2. सभी अन्य एक्सचेंज	75 मुफ्त	15	20

[सं० 7-34/70-आर०]

सी० ए० कोर्नीलियस,
ज्येष्ठ सदस्य (दूर संचार प्रचालन) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970